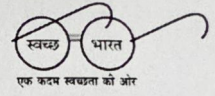




कार्यालय नगर निगम, उदयपुर
टाउनहॉल लिंक रोड, उदयपुर (राज.) 313001



दूरभाष स. 0294.2421255, 2420013, Helpline no. 0294.2426262 वेबसाइट- www.mcudaipur.org.com
कमांक:- एच.एन/सी.एन/2025-26/1441

दिनांक:- 27/5/2025

सीमित निविदा - सूचना

सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है की नगर निगम उदयपुर द्वारा निम्नालिखित कार्यो की दर संविदा हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्रम संख्या	कार्य	अनुमानित लागत
1	फिनाईल एवं एसिड सप्लाई का कार्य।	1.98 लाख

निविदा विक्रय दिनांक 30/5/2025 से प्रारम्भ होकर दिनांक 5/6/2025 समय 1.00 तक विक्रय की जायेगी तथा निविदा दिनांक 6/6/2025 को दोपहर 1.00 बजे तक प्राप्त की जाकर उसी दिन 3.00 बजे खोली जाएगी। निविदा का विस्तृत विवरण sppp.raj.nic.in पर उपलब्ध है।

आयुक्त
नगर निगम उदयपुर

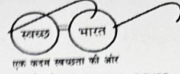
प्रतिलिपि:-

- 1 नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जावे।
- 2 प्रभारी विद्युत अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि निविदा का प्रकाशन निगम की वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु भिजवाए।
- 3 निविदा को पोर्टल पर अपलोड किया जाकर UBN No. -----

आयुक्त
नगर निगम उदयपुर



कार्यालय नगर निगम, उदयपुर



टाउनहॉल लिंक रोड, उदयपुर (राज.) 313001

एक कदम स्वच्छता की ओर

दुरभाष स. 0294.2421265, 2420013, Helpline no. 0294.2426262 वेबसाइट- www.mcudaipur.org.com

कमांक:- एच.एन/सी.एन/2025-26/1441

दिनांक:- 27/5/2025

शीर्षक:- निविदा प्रपत्र

- कार्य का नाम:- फिनाईल एवं एसिड सप्लाई का कार्य।
 - अनुमानित लागत:- 1,98,000 /-
 - निविदा प्रपत्र शुल्क रु 500 /- +18% G.S.T. = 590 रु
 - निविदा प्रपत्र विक्रय की प्रारंभ दिनांक 30/5/2025
 - निविदा प्रपत्र विक्रय की अन्तिम दिनांक 5/6/2025
 - भरे हुए निविदा फार्म प्राप्त करने की दिनांक 6/6/2025 समय 1:00 बजे
 - निविदा खोलने की दिनांक 6/6/2025
- नोट:- निविदा फार्म SPPP पोर्टल से डाउनलोड किये जा सकते हैं। पोर्टल से निविदा फार्म डाउनलोड करने पर निविदा प्रपत्र शुल्क की राशि निविदा फार्म के साथ आयुक्त नगर निगम उदयपुर के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न कर चुकाई जा सकती है।

निविदादाता द्वारा भरा जाना है:-

निविदादाता का नाम व पता.....

- मोबाईल नम्बर
- आधार कार्ड नं. (प्रति संलग्न करें)
- जी.एस.टी. नं..... (यदि बिडर जी.एस.टी दायरे में नहीं आने के कारण रजिस्टर्ड नहीं है तो इस आशय की घोषणा संलग्न करें या जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रति संलग्न करें)
- पैन नम्बर (प्रति संलग्न करें)
- निविदा प्रपत्र शुल्क जमा का विवरण डीडी/रसीद सं.....

मैं हम नगर निगम उदयपुर में फिनाईल एवं एसिड आपूर्ति करने का सप्लाई हेतु दर संविदा की संलग्न शर्त स्वीकार है तथा सहमति स्वरूप हस्ताक्षर कर संलग्न है। हमारी दरे निम्नानुसार है:-

क्र.स	सामग्री का नाम	ईकाई प्रति लीटर	दर समस्त कर सहित FOR नगर निगम	
			अंको में	अक्षरो में
1	फिनाईल (ब्लैक फिनाईल की गुणवत्ता में MAX to MAX अधिकतम 5 लीटर पानी की मात्रा होनी चाहिए)	2000		
2	एसिड (एसिड की गुणवत्ता 30 प्रतिशत होकर पैकिंग 5 लीटर जरीकेन में होनी चाहिए)	2000		

बिडर दरे अंकित करते समय अंको में व अक्षरो में एक समान दर अंकित करें अंको में अक्षरो में यदि अन्तर होगा तो अक्षरों में लिखी दर को मान्य किया जाएगा। दरे सुपाठ्य व पेन से अंकित की जाए।

संवेदक के हस्ताक्षर
मोहर व नाम

आयुक्त
नगर निगम उदयपुर

Handwritten signatures and marks.

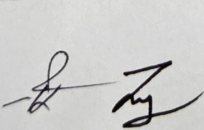
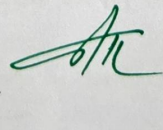
शर्तः:-

पात्रता की शर्तें

1. पैन कार्ड और पंजीकरण की प्रति प्रस्तुत की जानी चाहिए।
2. ब्लैक फिनाईल की गुणवत्ता में (MAX to MAX) अधिकतम 5 लीटर पानी की मात्रा होनी चाहिए।
3. एसिड की गुणवत्ता 30 प्रतिशत होकर पैकिंग 5 लीटर जरीकेन में होनी चाहिए।

- 1 विलम्ब से प्राप्त बोलियाँ :- बोलियाँ प्राप्त करने के लिये प्राधिकृत व्यक्ति, ऐसी किसी भी बोली को प्राप्त नहीं करेगा जो बोलियाँ प्रस्तुतीकरण के लिये नियत समय और तारीख के पश्चात् व्यक्तिशः प्रस्तुत की गई हों। कोई भी बोली, जो बोलियों के प्रस्तुतीकरण के लिये अन्तिम समय सीमा के पश्चात् डाक द्वारा पहुंची हो, को "विलम्ब से प्राप्त" के रूप में चिह्नित और घोषित किया जाएगा और बिना खोले ही रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा बोली लगाने वाले को लौटा दी जावेगी।
- 2 किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकार :- उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व को अपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती हैं।
- 3 परिमाण में परिवर्तन का अधिकार :- (1) संविदा के अधिनिर्णय के समय, बोली दस्तावेजों में मूलतः विनिर्दिष्ट माल, संकर्मों या सेवाओं के परिमाण में बढ़ोतरी की जा सकेगी, किन्तु ऐसी बढ़ोतरी बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। सह बोली और बोली दस्तावेजों के इकाई मूल्यों या अन्य निबंधनों और शर्तों में किसी परिवर्तन के बिना होगी।
- 4 कार्य सम्पादन प्रतिभूति :- कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम माल और सेवाओं के उपापन के मामले में प्रदाय आदेश की रकम की 5 प्रतिशत राशि अनुबन्ध के समय जमा करानी होगी।
- 5 बोली प्रतिभूति :- प्रस्तुत उपापन की विषय वस्तु के प्राक्कलित मूल्य का 2% होगी या जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे। राजस्थान के लघु उद्योगों की दशा में यह प्रदाय के लिये प्रदत्त मात्रा का 25% होगी और लघु उद्योगों से भिन्न रुग्ण उद्योगों की दशा में जिनके मामले औद्योगिकी एवं वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित है, यह बोली के मूल्य का 1% होगी। राज्य सरकार द्वारा रजिस्ट्रीकृत बोली प्रतिभूति ली जा सकेगी बोली प्रतिभूति बैंक चैक या मांगरेय ड्राफ्ट या अनुसूचित बैंक के विनिर्दिष्ट रूपधिन में बैंक गारंटी या सरकारी विभागों की दशा में ई.जी.आर.एस. के माध्यम से जमा के रूप में दी जा सकेगी। बोली प्रतिभूति, बोली की मूल्य या बढ़ायी गई विधिमान्यता की कालावधि से तीन दिन आगे तक विधिमान्य रहनी चाहीये।

- 6 बोली लगाने वाले से ली गई बोली प्रतिभूति निम्नलिखित मामलों में जब्त (ForFit) कर दी जाएगी, अर्थात्:-
- (क) जब बोली लगाने वाला बोली के खुलने के पश्चात् अपनी बोली प्रत्याहृत या उपान्तरित करता है।
- (ख) जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश देने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार, यदि कोई हो, का निष्पादन नहीं करता है।
- (ग) जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारंभ करने में असफल रहता है।
- (घ) जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश दिये जाने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।
- (ङ) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिये विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध का भंग करता है।
- 7 सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है, या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है।
- 8 समयावधि में वृद्धि :-नगर निगम यदि फर्म द्वारा प्रस्तुत कारणों से संतुष्ट है तो आपूर्ति आदेश में दिये गये समय में तीन माह वृद्धि कर सकेगा। इस हेतु आयुक्त/प्रशासक संक्षम होंगे।
- 9 प्रतिभूति जब्त :-बोली लगाने वाला करार निष्पादन के पश्चात् कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा कराने के पश्चात् अगर कार्य नहीं करता है या कार्य अधुरा छोड़ता है तो कार्य सम्पादन प्रतिभूति जब्त की जा सकेगी।
- 10 Undersigned has full right to reject any or all tenders without given any reasons.
- 11 The defect arises due to earthquake, cyclone, and natural calamities shall not be the responsibly of contracting agency.
- 12 निविदा प्रपत्र शुल्क व धरोहर राशि के डी.डी./बैंकर्स चैक आयुक्त, नगर निगम, उदयपुर के नाम से स्वीकार किये जायेंगे। जिसमें प्रथम न्यूनतम निविदादाता की डी.डी./बैंकर्स चैक रोके जाकर बाकी सभी को डी.डी./बैंकर्स चैक न्यूनतम निविदा दाता से अनुबंध हो जाने पश्चात् लौटा दिये जावेगे।
- 13 प्रस्तुत दरें समस्त कर सहित प्रस्तुत करनी होगी। जी.एस.टी. प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- 14 सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
- 15 आदेश एवं दुरभाष पर सूचना देने के पश्चात् माल/सामग्री की सप्लाय नहीं देने पर परफोमेन्स गारण्टी की राशि जप्त कर ली जायेगी तथा फर्म/निविदादाता की रिस्क व कोस्ट खुले बाजार से सप्लाय ली जावेगी। साथ ही सामग्री सप्लाय नहीं करने पर 10 प्रतिषत की कटौती की जावेगी। इसके लिए फर्म/निविदादाता स्वयं जिम्मेदार रहेगा।
- 16 निविदाकार को निविदा के साथ माल का सेम्पल देना होगा।

- 17 स्वीकृत निविदाकार को माल की सप्लाई करने के बाद वेरिफिकेशन होने के पश्चात् ही बिल के भुगतान किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
- 18 निविदाकार को नगर निगम कार्यालय/बताये स्थान पर माल सप्लाई करना होगा।
- 19 प्रदाय की गयी सभी वस्तुएं निविदा में निर्धारित स्पेसिफिकेशन ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होगी तथा जहां इन वस्तुओं की आई.एस.आई. स्पेसिफिकेशन के अनुसार अपेक्षा की गई हो उन मदों को पूर्णरूप से उन स्पेसिफिकेशन के अनुरूप होना चाहिए तथा उस पर मार्क होना चाहिए।
- 20 क्रेता अधिकारी या उसका विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि, सभी युक्तियुक्त उचित समय पर प्रदायकर्ता के परिसर में जायेगा तथा वह विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद जैसा भी निश्चित किया जायेगा किसी भी समय मालों/उपकरणों/मशीनें सामग्री एवं कर्मकौशल का निरीक्षण एवं जांच करने की शक्ति रखेगा।
- 21 निविदादाता उचित पैकिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सड़क या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सकें। किसी प्रकार की हानि क्षति, टूट-फूट या रिसाय (लीकेज) या किसी कमी के होने के मामले में, निविदादाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रीयों की जांच/निरीक्षण किए जाने पर पायी गयी ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लगात स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 22 यदि माल की सप्लाई क्रेता अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नहीं की जाती है तो निविदादाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय अनुबंध को निरस्त कर सकता है वह इस प्रकार निरस्त करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।
- 23 भुगतान हेतु बिल सामग्री सप्लाई कर प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करना होगा।
- 24 पारिनिर्धारित क्षति : परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसुली निम्नलिखित प्रतिषतता के आधार पर उन स्टोर के मुल्यों के लिए की जायेगी जिनकी निविदादाता सप्लाई करने में असफल रहा है
- (1) (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि के विलम्ब के लिए 2.5 प्रतिशत।
- (ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए 5.0 प्रतिशत।
- (ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए 7.5 प्रतिशत
- (घ) विहित अवधि की तीन-चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10.0 प्रतिशत
- (2) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जायेगा।
- (3) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।
- (4) यदि प्रदायकर्ता किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है तो वह लिखित में उस प्रधिकारी का आवेदन करेगा। जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है किन्तु वह

उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के करेगा।

(5) यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

25 वसूलिया: परिनिर्धारित क्षयों, कम सप्लाई, टूट-फूट रद्द की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जायेगी। कम सप्लाई, टूट-फूट रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर संतोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिनिर्धारित क्षय के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जायेगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर. एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

26 राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता नियम 2013 के समस्त प्रावधान लागू होंगे।

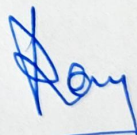
27 निविदा प्रपत्र निविदा में वर्णित शर्तों मेरे (फर्म/निविदादाता) द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीक स्वरूप मैंने हस्ताक्षर कर दिये हैं एवं सभी शर्तों का पालन करने के लिए मैं सहमत हूँ।

28 उक्त कार्य A.R.C. प्रकृति का है। अतः न्यूनतम मात्रा कि कोई गारंटी नहीं होगी एवं आवश्यकता अनुसार उप कार्यादेश जारी किये जायेंगे।

29 RTPP Rule 2013 के नियम सं. 29 के समस्त प्रावधान लागू होंगे।

30 जिन बिन्दुओं के लिए निविदा मे कुछ भी वर्णित नहीं है उस हेतु RTPP Act 2012 व RTPP Rule 2013 के प्रावधान लागू होंगे।

संवेदक के हस्ताक्षर
मोहर व नाम


आयुक्त
नगर निगम उदयपुर

